न्यायालय उपजिलाधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना–मऊ

राधेकृष्ण जनसेवा ट्रस्ट
कमालुद्दीनपुर, सौसरवां, मऊ

वाद संख्या–201800952658391 / 14.06.2018
धारा 143 / 84 ज0वि0अधि0

बनाम

सरकार

मौजा–कमालुद्दीनपुर, परगना व तहसील
मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद–मऊ

उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट, मु... सत्यमेव जयते

निर्णय

राधेकृष्ण जनसेवा ट्रस्ट, कमालुद्दीनपुर सौसरवां–मऊ (उ0प्र0) ने इस कथन के साथ वाद प्रस्तुत किया गया है कि मौजा–कमालुद्दीनपुर, के आराजी नं0–442 व 443 कुल रकबा 1.120हे0 मे प्रतिवादिगण के साथ सह संक्रमणिय भूमिधर है तथा उक्त आराजी पर राधेकृष्ण जनसेवा ट्रस्ट, कमालुद्दीनपुर सौसरवां–मऊ (उ0प्र0) का भवन एवं प्रांगण स्थित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है। इस कथन के साथ नियम 135 (1) ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत आख्या मंगाकर धारा 143 / 84 के अन्तर्गत उक्त भूमि को अकृषिक करने की याचना किया गया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर नियम 135 (1) ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक से आख्या मांगा गया तथा प्रतिवादिगण को नोटिस निर्गत हुआ, जो वादतामिल पत्रावली में सम्मिलित हैं। प्रतिवादिगण के तरफ से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। राजस्व निरीक्षक के आख्या के अनुसार उक्त भूमि में आयुर्वेदिक संस्थान का भवन एवं प्रांगण है, जो अकृषिक प्रयोग में लाया जा रहा है।

वादि के अधिवक्ता के तर्क को सुना गया तथा राजस्व निरीक्षक की आख्या एवं नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक ने अपनी नजरी नक्शा में उपरोक्त आराजी नं0 पर राधेकृष्ण जनसेवा ट्रस्ट, कमालुद्दीनपुर सौसरवां–मऊ (उ0प्र0) अंकित किया गया है तथा खसरा पर भी उक्त आराजी नम्बर पर राधेकृष्ण जनसेवा ट्रस्ट, कमालुद्दीनपुर सौसरवां–मऊ (उ0प्र0) का कब्जा अंकित है। शासकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, उनके अनुसार उक्त भूमि को अकृषिक करने में कोई आपत्ति नहीं है। राजस्व निरीक्षक की आख्या में उपरोक्त आराजी अकृषिक पायी गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी नम्बर को अकृषिक (आबादी) घोषित करना न्यास संगत हैं।

आदेश

अतः परगना व तहसील–मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद–मऊ के मौजा कमालुद्दीनपुर के आराजी नं0–442 व 443 कुल रकबा 1.120हे0 का प्रतिवादिगण के साथ सह संक्रमणिय भूमिधर है। को धारा–143 / 84 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति अमल दरामद हेतु तहसीलदार मुहम्मदाबाद गोहना को एवं एक प्रति अनुपालनार्थ हेतु उप निबन्धक मुहम्मदाबाद गोहना मऊ को भेजी जाय। पत्रावली वाद आवयक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक 25.06.2018

उप जिलाधिकारी
मुहम्मदाबाद गोहना
मऊ

क्र सं. 0932
... 7.00
... 25.6.18
... 25.6.18

सत्य–प्रतिलिपि

रीडर
न्यायालय–उपजिलाधिकारी
मु0बाद गोहना, मऊ

Scanned with CamScanner